

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2016—आषाढ़ 28, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. एफ-1-02-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में अनुक्रमांक “अट्ठाईस—पुनर्वास” का लोप किया जाए ,
2. अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “अट्ठाईस—पुनर्वास विभाग” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए ,

(ख) शीर्षक “सात—राजस्व विभाग” के अधीन,—

(एक) भाग (अ), “पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मानीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्वयन विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्टर प्लान) और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” में, अनुक्रमांक 49 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“50. भारत और पाकिस्तान डोमीनियमों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित हुए व्यक्तियों तथा बाद के प्रवासियों की सहायता और पुनर्वास.

51. तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित समस्त कार्य.

52. कर्मचारी और संगठन.
 53. शिविर भूमियां.
 54. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को तथा बर्मा, यूगेन्डा, जैरी, श्रीलंका इत्यादि से आए प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को पुनः बसाने की योजनाएं.
 55. जिला पुनर्वास समितियां.
 56. वित्तीय विषय.
 57. विधि द्वारा घोषित निष्क्राम्य संपत्ति (कृषि भूमि सहित) की अभिरक्षा, प्रबंध और निवर्तन.
 58. स्थायी दायित्व गृह, माना के प्रशासन से संबंधित विषय.
- (दो) भाग (आ) “विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम” में, अनुक्रमांक 20 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—
21. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44).
 22. निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64).
 23. निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31).
 24. मध्यप्रदेश रिसेटलमेंट एण्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (हाऊस बिल्डिंग मटेरियल एक्वीजिशन) एक्ट, 1949 (क्रमांक 43 सन् 1949).
 25. मध्यप्रदेश परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति (पुनःस्थापन) अधिनियम, 1985, (क्रमांक 9 सन् 1985).
- (तीन) भाग (इ) “विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय” में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—
8. पुनर्वास आयुक्त.
 9. परियोजना कार्यालय.
- (चार) भाग (उ) “ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय” में, “कुछ नहीं” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“सीमेन्ट कांक्रीट फैब्रिकेशन यूनिट से संबंधित सभी विषय.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. एफ-1-02-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-02-2016-एक-(1), दिनांक 19 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2016

No. F-1-02-2016-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,—serial number “XXVIII—Rehabilitation” shall be omitted;

2. In the Schedule,—

(a) The heading “XXVIII-Rehabilitation Department” and entries relating thereto shall be omitted.

(b) Under the heading “VII—Revenue Department”,—

(i) In part (A), Matters of policy dealt within the Department except implementation of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 including monitoring the progress of distribution of lease documents Progress of slum clearance and improvement schemes under implementation by various agencies, consequential amendment of Urban Master Plans and any other activities relating thereto, after serial number 49 the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

“50. Relief and rehabilitation of persons displaced from their original places of residence by reason of the setting up of the dominions of India and Pakistan and subsequent migrants.

51. All work relating to rehabilitation of Tibetan Refugees.

52. Staff and organisation.

53. Camping grounds.

54. Resettlement schemes for DPS. From erstwhile East Pakistan and West Pakistan and Papatriates from Burma, Uganda, Zaire, Sri Lanka etc.

55. District Rehabilitation committees.

56. Financial matters.

57. Custody management and disposal of property (including Agricultural land) declared by Law to be Evacuee property.

58. Matters regarding the administration of Permanent Liability Homes, Mana.”.

(ii) In part (B), after serial number 20, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

“21. Dispalced Persons(Compensation and Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954).

22. Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951).

23. Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).

24. The Madhya Pradesh Resettlement and Rehabilitation of Displaced Persons (House Building Material Acquisition) Act, 1949 (43 of 1949).

25. The Madhya Pradesh Pariyojna Ke Karan Visthapit Vyakti (Punhsthapan) Adhinyam, 1985 (9 of 1985).”.

(iii) In part (C), after serial number 7, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

“8. Rehabilitation Commissioner.

9. project Offices.”.

(iv) In Part (E), for the word “Nil”, the following entries shall be substituted, namely:—

“All maters relating to Cement Concrete Fabrication Units.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.